

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2016—चैत्र 13, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. एफ ए 3-13-2016-1-पांच (23).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-13-2015-1-पांच(16), दिनांक 31 मार्च 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम (4) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“उस व्यापारी को यह छूट उपलब्ध होगी,—

- (1) जिसने कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का प्रवेश मध्यप्रदेश राज्य के भीतर से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय करके कराया हो; या
- (2) जो सी 2/सी 3 मिक्स का निर्माता है तथा जिसने कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का प्रवेश मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से मध्यप्रदेश राज्य के भीतर सी 2/सी 3 मिक्स के निर्माण में उपभोग हेतु कराया हो; या
- (3) जिसने कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का प्रवेश मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से गैस पाईप लाईन से भिन्न किसी अन्य माध्यम से तथा इस अधिसूचना के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल के निर्माण में उपभोग हेतु कराया हो.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. एफ ए 3-13-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-16-2016-1-पांच (23), दिनांक 2 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 2nd April 2016

No. F-A-3-13-2016-1-V (23).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-13-2015-1-V(16), dated 31st March 2015, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in Schedule, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“The exemption shall be available to the dealer—

- (1) who effects the entry of goods specified in column (2) by way of purchase from a registered dealer from inside the State of Madhya Pradesh; or
- (2) who is a manufacturer of C2/C3 mix and who effects the entry of the goods specified in column (2), inside the State of Madhya Pradesh from outside the State of Madhya Pradesh for consumption in the manufacture of C2/C3 mix; or
- (3) who effects the entry of the goods specified in column (2) by any means other than gas pipe line from outside the State of Madhya Pradesh for consumption in the manufacture of goods other than those specified in column (2) of this notification.”.

2. This notification shall come into force from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. एफ ए 3-14-2016-1-पांच (24).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 2 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-5-1-2006-1-पांच(67), दिनांक 15 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि क्रमांक 4 में, शब्द “तथा चार पहिया मोटर यान” का लोप किया जाए.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. एफ ए 3-14-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-14-2016-1-पांच (24), दिनांक 2 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 2nd April 2016

No. F-A-3-14-2016-1-V (24).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-A-5-1-2006-1-V(67), dated 15th September 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in entry number 4, the words "and four wheeler motor vehicles" shall be omitted.

2. This notification shall come into force from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

एफ ए 3-18-2016-1-पांच (25).—यतः, राज्य सरकार का यह विचार है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 21 में,—

(एक) उपनियम (2-क) में, शब्द "बीस लाख रुपए" के स्थान पर, शब्द "चालीस लाख रुपए" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(8) (क) धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए, प्रथम तीन माह के लिए दर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह होगी और तत्पश्चात् दर 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगी;

(ख) धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए दर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह होगी."

2. नियम 36 में, उपनियम (2) में,—

- (एक) खण्ड (ख) में, शब्द “यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही 6.25 लाख रुपए या उससे अधिक अथवा प्रतिवर्ष पच्चीस लाख रुपए या उससे अधिक कर भुगतान करने का दायी है”, के स्थान पर, “यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही 6.25 लाख रुपए या उससे अधिक अथवा प्रतिवर्ष पच्चीस लाख रुपए या उससे अधिक, किन्तु पच्चीस करोड़ रुपए से कम कर का भुगतान करने का दायी हो” स्थापित किए जाएं;
- (दो) खण्ड (ख) के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, सेमी-कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—
- “(ग) यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही 6.25 करोड़ रुपए या उससे अधिक अथवा प्रतिवर्ष पच्चीस करोड़ रुपए या उससे अधिक कर भुगतान करने का दायी हो,—
- (1) किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के प्रथम तथा द्वितीय मास के लिए उसके द्वारा देय कर की वास्तविक रकम तिमाही के द्वितीय तथा तृतीय मास की 06 तारीख को या उसके पूर्व भुगतान करेगा;
- (2) (एक) क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही की विवरणी के अनुसार उससे शोध्य कर की रकम का शेष ऐसी तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की विहित तारीख को या उसके पूर्व भुगतान करेगा; और
- (दो) किसी वर्ष के मार्च मास के प्रथम पच्चीस दिनों के लिए शोध्य कर की वास्तविक रकम वर्ष के 31 मार्च को या उसके पूर्व और ऐसी तिमाही के लिए विवरणी के अनुसार उससे शोध्य कर की रकम का शेष ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की विहित तारीख को या उसके पूर्व भुगतान करेगा.”

3. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. एफ ए 3-18-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-18-2016-1-पांच (25), दिनांक 2 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 2nd April 2016

No. F-A-3-18-2016-1-V (25).—WHEREAS, the State Government considers that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule, 21,—

- (i) in sub-rule (2-A), for the words “rupees twenty lacs”, the words “rupees forty lacs” shall be substituted;

(ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

- “(8) (a) For the purpose of clause (a) of sub-section (4) of Section 18, the rate shall be 1.5 percent per month for the first three months and thereafter the rate shall be 2 percent per month;
- (b) for the purpose of clause (b) of sub-section (4) of Section 18, the rate shall be 1.5 percent per month.”.

2. In rule 36, in sub-rule (2),—

- (i) in clause (b), for the words “if he is liable to pay tax ordinarily of rupees 6.25 lacs per quarter or above or rupees twenty five lacs per annum or above”, the words “if he is liable to pay tax ordinarily of rupees 6.25 lacs per quarter or above or rupees twenty five lacs per annum or above, but less than rupees 25 crores” shall be substituted;
- (ii) at the end of clause (b), for full stop, semi colon shall be substituted and thereafter following clause shall be added, namely:—

- “(c) if he is liable to pay tax ordinarily of rupees 6.25 crores per quarter or above or rupees twenty five crores per annum or above, shall pay,—
- (1) an amount equal to the actual amount of tax payable by him for the first and second month of every quarter or a year on or before the 6th of the second and the third month of the quarter;
- (2) (i) balance of the amount of tax due from him according to the return of the first, second and third quarter respectively on or before the date prescribed for furnishing the return for such quarter, and
- (ii) the actual amount of tax payable for the first twenty five days of the month of March of a year on or before the 31st March and the balance of the amount of tax due from him according to the return for such quarter, on or before the date prescribed for furnishing the return for that quarter.”.

3. This notification shall come into force from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.